



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270277  
CG-DL-E-18022026-270277

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]  
No. 104]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2026/माघ 23, 1947  
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026/MAGHA 23, 1947

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

फा. सं. ए.60011/34/2016/एचआरपीसी.— भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 की उपधारा(2) के खंड (बी) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, एतद्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :

1.1 इन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम, 2020 (जिसे आगे 'उक्त विनियम' कहा गया है) के विनियम 6 के उप-विनियम 6.1 के खंड (i) में, विद्यमान टिप्पणी को टिप्पणी-1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पणी-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी, अर्थात्—

“टिप्पणी 2: वायु यातायात नियंत्रक संवर्ग तथा संचार दिक्चालन और निगरानी संवर्ग में ई-3 और ई-6 स्तर पर कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।

3. उक्त विनियमों के विनियम 8 में,-

(ए) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) (ए) कनिष्ठ कार्यपालक (ई-1 स्तर/ग्रेड) के पद पर उन विभागों में भर्ती हेतु, जहाँ पात्रता मानदंड इंजीनियरिंग स्नातक है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी भी सम्मिलित है तथा जहाँ पात्रता मानदंड इंजीनियरिंग स्नातक या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर (MCA) है, जैसा कि इन विनियमों के अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट है, पिछले तीन वर्षों के ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से बिना किसी न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किए, आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, तथा चयन आवेदक अभ्यर्थियों के गेट (GATE) अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा।

(बी) अन्य विभागों में कनिष्ठ कार्यपालक (ई-1 स्तर/ग्रेड) में भर्ती के संबंध में, जहाँ पात्रता मानदंड अभियांत्रिकी स्नातक के अलावा कुछ और है, चयन प्राधिकरण द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा।”;

(बी) खंड (v) के पश्चात, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(vi) कनिष्ठ कार्यपालक (ई-1 स्तर/ग्रेड) के पद हेतु विभागीय परीक्षाओं के संबंध में सभी विभागों में लिखित परीक्षा के लिए एक समान भारांक मानदंड अपनाया जाएगा, अर्थात् विषय-संबंधित 50% और सामान्य ज्ञान 50%।

(vii) दिव्यांग व्यक्तियों को समय-समय पर लागू कानून के अनुसार समान अवसर प्रदान किया जाएगा।

(viii) कनिष्ठ सहायक (अग्निशमन सेवा) (एनई-4) के पद पर सीधी भर्ती के लिए, लिखित परीक्षा का स्तर नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा: -

#### तालिका

बेसिक अंकगणित	25 अंक	10वीं कक्षा के स्तर का
बेसिक विज्ञान	25 अंक	
प्रारंभिक अंग्रेजी / व्याकरण	25 अंक	
सामान्य ज्ञान	25 अंक	12 वीं कक्षा के स्तर का
कुल	100 अंक	

सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 100 में से 50 होंगे तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 100 में से 40 होंगे और लिखित परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी।”;

4. उक्त विनियमों में, विनियम 10 में, विनियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“10 आयु: प्रत्येक पद के लिए अधिकतम आयु – सीमा 'सीधी भर्ती' के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी और इन विनियमों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होगा जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित करे :

परंतु यह कि विभागीय कर्मचारियों को पचास वर्ष की आयु तक विभिन्न विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी और सीधी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में अधिकतम दस वर्ष की छूट दी जाएगी।

**10.1 शुल्क :** सीधी भर्ती के लिए शुल्क समय-समय पर इस संबंध में किए गए निर्धारण के अनुसार देय होगा:

परंतु यह कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबन्धित अभ्यर्थी , दिव्यांगजन, महिला अभ्यर्थी तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई अन्य छूटों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी, शुल्क के भुगतान से मुक्त होंगे।

10.1.1 जो प्रशिक्षु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अनुसार एक वर्ष का प्रशिक्षुता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित आवेदन शुल्क जमा करने से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे संबंधित भर्ती विज्ञापन में उल्लिखित अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों।”

5. उक्त विनियमों में, विनियम 13 के अंतर्गत, उप-विनियम 13.1 में, खंड (ii) का लोप किया जाएगा।

6. उक्त विनियमों में, विनियम 15 में, -

(ए) उप-विनियम 15.2 के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“15.2.1 पूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग पूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए रक्षा सेवा कर्मियों के आश्रितों के लिए आरक्षित पदों की संख्या का उल्लेख, निगमित मुख्यालय के स्थापना अनुभाग सहित क्षेत्रों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों में किया जाएगा और उन्हें इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भरा जाएगा।

15.2.2 अग्निशमन सेवा संबंधी पद के लिए विज्ञापन देते समय अर्हक चिकित्सा जांच संबंधी विनिर्देशों, शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण का क्रम तथा अपेक्षित प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की आवश्यकता को विशेष रूप से अधिसूचित किया जाएगा।”;

(बी) उप-विनियम 15.7 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“15.7 सीधी भर्ती और 25% विभागीय परीक्षा (डीई) कोटा के अंतर्गत रिक्तियों को भरने के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, सामान्यतः भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से पाँच गुना होगी और जहाँ ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के पाँच गुना से कम है, वहाँ चयन समिति सभी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों पर विचार करेगी। हालाँकि, जहाँ सीधी भर्ती से भरे जाने वाली रिक्तियाँ सीमित हों (10 तक) और आवेदन करने वाले तथा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो, वहाँ अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के मानदंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

15.7.1 समय-सीमा को कम करने के उद्देश्य से, प्रारम्भ में रिक्तियों की संख्या से दोगुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। अपूर्ण रह गई रिक्तियों, यदि कोई हो, को भरने के लिए, आवश्यकता के अनुसार पाँच गुना की सम्पूर्ण सीमा के भीतर से अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकेगा। यह प्रावधान अग्निशमन सेवा तथा उन अन्य भर्तियों पर लागू नहीं होगा जहाँ कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद साक्षात्कार अनिवार्य है। इसी प्रकार, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से पाँच गुना तक होगी। हालाँकि, समय-सीमा को कम करने के लिए प्रारम्भ में रिक्तियों की संख्या से दोगुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यदि इसके पश्चात भी रिक्तियाँ अपूर्ण रह जाती हैं, तो प्रचलित निर्देशों का समुचित अनुपालन करते हुए पाँच गुना की सम्पूर्ण सीमा के अंदर, आवश्यकता के अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकेगा।”;

(सी) उप-विनियम 15.8 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“15.8 अलग-अलग पदों (सीधी भर्ती और विभागीय परीक्षा) के लिए लिखित या प्रतियोगी परीक्षा में अर्हक अंक सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40% होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के संबंध में, उनकी श्रेणी (अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) पर विचार किए बिना, लिखित या प्रतियोगी परीक्षा में अर्हक अंक 40% होंगे। यह प्रावधान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में संबन्धित पद (पदों) पर नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी की उपयुक्तता पर निर्भर करेगा।”

7. उक्त विनियमों में, विनियम 36 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“36. छूट देने की शक्ति: जहाँ प्राधिकरण को लगता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।”;

8. उक्त विनियमों में, अनुलग्नक-I में, -

(ए) क्रमांक 1, 3, 4, 8, 10 और 19 के सामने उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

"क्रम संख्या	विभाग	अर्हता
1	वायु यातायात नियंत्रक (एटीसी)	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित विज्ञान में तीन वर्ष की स्नातक डिग्री (बैचलर इन साइंस) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) या प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) में स्नातक डिग्री।</p> <p><b>(टिप्पणी 1:</b> भौतिकी एवं गणित उनके किसी एक सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में विषय के रूप में होने चाहिए)।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> अभ्यर्थियों को 10+2 कक्षा के स्तर के अनुसार अँग्रेजी में बोलने और लिखने में न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए (अभ्यर्थी ने 10वीं या 12वीं कक्षा में अँग्रेजी को एक विषय के रूप में उत्तीर्ण किया हो)।</p>
3	सिविल	<p>सिविल अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) या प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) में स्नातक डिग्री।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> विभागीय परीक्षा के मामले में, सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा धारक कर्मचारी जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव है तथा जो कम से कम वरिष्ठ सहायक (एनई-6) (सिविल) के स्तर पर हों, पात्र होंगे। अनुभव तथा वरिष्ठ सहायक (एनई-6) के स्तर पर होने की शर्त उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिनके पास सिविल अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) या प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) में स्नातक डिग्री हो।</p>
4	विद्युत	<p>विद्युत (इलेक्ट्रिकल) अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) या प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) में स्नातक डिग्री।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> विभागीय परीक्षा के मामले में, विद्युत (इलेक्ट्रिकल) अभियांत्रिकी में डिप्लोमा धारक कर्मचारी जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो तथा जो कम से कम वरिष्ठ सहायक (एनई-6) (इलेक्ट्रिकल) के स्तर पर हों, पात्र होंगे। अनुभव तथा वरिष्ठ सहायक (एनई-6) के स्तर पर होने की शर्त उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिनके पास विद्युत अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) या प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) में स्नातक डिग्री है।</p>
8	कार्गो	<p>विज्ञान में स्नातक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में दो वर्ष की अवधि की स्नातकोत्तर डिग्री;</p> <p>अथवा</p> <p>अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) अथवा प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) में स्नातक डिग्री।</p>
10	वित्त	<p>वित्त में विशेषज्ञता सहित बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर डिग्री या वित्त में विशेषज्ञता सहित प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट।</p>
19	सर्वेक्षण और मानचित्रण	<p>सिविल अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) या प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) में</p>

	स्नातक डिग्री या भूगोल में विज्ञान स्नातकोत्तर या रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली में स्नातकोत्तर या जियो-इन्फॉर्मेटिक्स में स्नातकोत्तर या जियोमैटिक्स में स्नातकोत्तर
--	--

(बी) तालिका के अंदर, "अंकों का प्रतिशत" शीर्षक वाले अनुच्छेद 1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"1. अंकों का प्रतिशत: न्यूनतम उत्तीर्णांक :-

**टिप्पणी:** (i) डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पात्र या मेंबरशिप परीक्षा, भारत में केंद्र या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थानों से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय माने गए (डीम्ड विश्वविद्यालय) संस्थान से प्राप्त होनी चाहिए।

(ii) जहां लागू हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा (जैसा भी मामला हो), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ मान्य होंगे।";

(सी) अनुच्छेद 2 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

**"अनुभव:** (i) कनिष्ठ कार्यपालक (ई-1 स्तर/ग्रेड) के पद पर सीधी भर्ती के लिए कोई अनुभव अनिवार्य नहीं है (राजभाषा के कनिष्ठ कार्यपालक (ई-1 स्तर/ग्रेड) के पद को छोड़कर)।

(ii) प्रबंधक (ई-3 स्तर/ग्रेड) के पद पर सीधी भर्ती के लिए पद से संबंधित तीन वर्ष का अर्हता पश्चात कार्य अनुभव।

(iii) उप महाप्रबंधक (ई-6) के पद पर सीधी भर्ती के लिए पद से संबंधित आठ वर्ष का अर्हता पश्चात कार्य अनुभव (जिसमें प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक (ई-4 स्तर/ग्रेड) या उससे ऊपर के स्तर/ग्रेड पर चार वर्ष की सेवा शामिल होगी)।

**स्पष्टीकरण:** 1. केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या बड़े निजी क्षेत्र के संगठनों या संस्थानों या प्रतिष्ठित कंपनी से प्राप्त अनुभव;

2. बड़े निजी क्षेत्र के संगठनों या संस्थानों या प्रतिष्ठित कंपनी में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल होगा:

(ए) सूचीबद्ध कंपनियाँ (जिसका अभिप्राय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रुप 'ए' या 'बी' में सूचीबद्ध कंपनियों से है) - अनुभव के वर्षों के अनुरूप।

(बी) ऐसे संगठन या संस्थान या कंपनियों से प्राप्त अनुभव जिनमें 250 से ज़्यादा कर्मचारी कंपनी के लिए काम करते हों, जिसमें संविदा आधार पर आपूर्ति की गई जनशक्ति शामिल नहीं हैं - अनुभव के वर्षों के अनुरूप।

(सी) ऐसे संगठन या संस्थान या कंपनियों से प्राप्त अनुभव जिनका संबन्धित वित्तीय वर्षों में वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा है (अनुभव के वर्षों के अनुरूप)। बड़ी विधि फर्मों में ऐसी विधि फर्म शामिल होंगी जिनका संबन्धित वित्तीय वर्षों में वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है (अनुभव के वर्षों के अनुरूप)।

(डी) ई-6 स्तर पर सीधी भर्ती के लिए (जहां प्राधिकरण के समान वेतनमान का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो), संबंधित विज्ञापन वर्ष के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक (ई-4) के प्रारम्भिक मूल वेतन के दोगुने के समतुल्य कंपनी पर कुल व्यय (कॉस्ट टू कंपनी) पर विचार किया जाएगा।

(डी) अनुच्छेद (4) के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित जाएगा, अर्थात् :-

“4. दिनांक 29 अगस्त, 2011 के आदेश जारी होने से पहले लागू भर्ती और पदोन्नति विनियमों में विनिर्दिष्ट अर्हता या अनुभव का पालन 29.08.2011 से पूर्व नियुक्त विभागीय अभ्यर्थियों को अलग-अलग पदों या ग्रेड में पदोन्नति देने के लिए किया जाएगा। हालांकि, 29 अगस्त, 2011 के आदेश जारी होने की तिथि को या उसके पश्चात भर्ती किए गए कर्मिकों की पदोन्नति के लिए, अर्हता या अनुभव संबंधी आवश्यकताएँ दिनांक 29 अगस्त, 2011 के आदेश में विनिर्दिष्ट अर्हता या अनुभव के अनुसार विनियमित होंगी।”;

(ई) अनुच्छेद (5) का लोप किया जाएगा।

(एफ़) अनुच्छेद (6) में, उप-अनुच्छेद 'डी' के बाद, निम्नलिखित उप-अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ई. नागर विमानन महानिदेशालय या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई अन्य शर्तें लागू होंगी।”

9. उक्त विनियमों में, अनुलग्नक - II में,

(ए) एनई-4 पर प्रवेशन (इंडक्शन) के लिए, निम्नलिखित के अनुसार एनई-4 पर प्रवेशन (इंडक्शन) को प्रतिस्थापित जाएगा, अर्थात्:- “

क्रम संख्या	पदनाम	विभाग	अर्हता शैक्षणिक अर्हता में उत्तीर्णांक और कोई अनुभव आवश्यक नहीं अधिकतम आयु 30 वर्ष
1.	कनिष्ठ सहायक (मानचित्रण)	एटीएम	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र।
2.	कनिष्ठ सहायक (फोर्क लिफ्ट)	कार्गो	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा

			राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र।
3.	कनिष्ठ सहायक (ड्राइंग- सिविल)	सिविल	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र।
4.	कनिष्ठ सहायक (कार्पेंटरी)	सिविल	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र।
5.	कनिष्ठ सहायक (प्रयोगशाला)	सिविल	10वीं उत्तीर्ण तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में अनुभव
6.	कनिष्ठ सहायक (मेसनरी)	सिविल	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र।
7.	कनिष्ठ सहायक (प्लम्बर)	सिविल	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा

			राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र।
8	कनिष्ठ सहायक (ड्राइंग – विद्युत)	विद्युत	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
9	कनिष्ठ सहायक (लिफ्ट ऑपरेशन-सह- मैकेनिक)	विद्युत	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
10	कनिष्ठ सहायक (एसीआर)	विद्युत	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
11	कनिष्ठ सहायक (एयरोब्रिज)	विद्युत	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
12	कनिष्ठ सहायक (वायरमैन)	विद्युत	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र;

			अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
13	कनिष्ठ सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स)	इलेक्ट्रॉनिक्स	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
14	कनिष्ठ सहायक (अग्निशमन सेवाएँ)	अग्निशमन	शैक्षणिक अर्हता: उत्तीर्ण अंकों सहित मैकेनिकल/आटोमोबाइल /अग्निशमन में 10+3 वर्ष का स्वीकृत नियमित डिप्लोमा अथवा 12वीं उत्तीर्ण (नियमित अध्ययन) <b>ड्राइविंग लाइसेन्स:</b> (i) वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस; अथवा (ii) विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व जारी वैध मध्यम वाहन ड्राइविंग लाइसेंस; अथवा (iii) विज्ञापन की तिथि से कम से कम दो वर्ष पूर्व जारी वैध हल्का मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेन्स  <b>टिप्पणी :</b> (ii) एवं (iii) के मामले में, पदधारी को नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से पूर्व, भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करना होगा। ऐसा ना करने की स्थिति में उनकी परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा ताकि लाइसेंस प्राप्त किया जा सके। इस अवधि के दौरान उन्हें स्थायी रूप से पदस्थ नहीं किया जाएगा और उनकी

			<p>वेतन वृद्धि भी रोक दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दो वर्ष से अधिक कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और उनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी।</p> <p><b>ड्राइविंग परीक्षण :</b> ड्राइविंग परीक्षण हल्के मोटर वाहन पर आयोजित किया जाएगा।</p> <p><b>प्रशिक्षण अवधि :</b> वर्तमान 16 सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाकर 18 सप्ताह किया जाएगा। जिसमें 02 सप्ताह का प्रशिक्षण विशेष रूप से भारी वाहन के रख-रखाव एवं ड्राइविंग हेतु होगा।</p>
15	कनिष्ठ सहायक (हाउसकीपिंग)	एचके	10वीं उत्तीर्ण तथा स्वच्छता/हाउसकीपिंग में एक वर्ष का डिप्लोमा
16	कनिष्ठ सहायक (पटवारी)	भूमि	10वीं उत्तीर्ण
17	कनिष्ठ सहायक (सर्वेयर)	भूमि	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
18	कनिष्ठ सहायक (अपहोल्स्ट्री)	एमएम	10वीं उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड का ज्ञान।
19	कनिष्ठ सहायक (ऑपरेटर-सह-मैकेनिक)	विद्युत	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
20	कनिष्ठ सहायक (ऑटो इलेक्ट्रिकल)	एमटी	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा

			राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
21	कनिष्ठ सहायक (एमटी)	एमटी	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
22	कनिष्ठ सहायक (कार्यालय)	मानव संसाधन प्रबंधन	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा के साथ स्नातक।
23	कनिष्ठ सहायक (ड्राइंग-योजना)	योजना	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
24	कनिष्ठ सहायक (फोटो प्रिंटिंग)	योजना	10वीं उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र; अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र।
25.	कनिष्ठ सहायक (ड्राइवर)	एम टी	अनिवार्य : 10वीं उत्तीर्ण एवं पिछले 2 वर्षों से भारी मोटर वाहनों के लिए मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वाहन स्टार्ट करने में आ रही कठिनाइयों को ठीक करने में सक्षम और वाहन मरम्मत का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास

		<p>10+2 की उच्च अर्हता होगी, उन्हें उपयुक्त वरीयता दी जाएगी।</p> <p>वांछनीय: स्थानीय भाषा या हिंदी या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान।</p> <p>अनुभव : भारी वाहन चलाने का कम से कम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को अर्थ मूविंग इक्विपमेंट चलाने या ऑपरेट करने का अतिरिक्त अनुभव होगा, उन्हें वरीयता दी जाएगी।</p> <p><b>नेत्र दृष्टि :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• बिना चश्मे के प्रत्येक आँख से 6/ 6 की दूर की दृष्टि।</li> <li>• चश्मे के साथ या बिना चश्मे के प्रत्येक आँख से एन-5 की निकट दृष्टि।</li> <li>• (दृष्टि परीक्षण प्रत्येक आँख का अलग-अलग किया जाएगा)</li> <li>• इशियारा चार्ट के अनुसार रंग दृष्टि सामान्य होनी चाहिए।</li> <li>• कॉन्फ्रैक्शन परीक्षण द्वारा निर्धारित प्रत्येक आँख का दृष्टि का पूर्ण क्षेत्र होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>श्रवण : सामान्य</b></p> <p>विभागीय समूह 'घ' कार्मिक से एम टी ड्राइवर की पदोन्नति हेतु जैसे कार्मिक जिनके पास विज्ञापन की तिथि को दो वर्ष पुराना भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस है, वे कनिष्ठ सहायक (ड्राइवर) के पद के लिए विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे।</p>
--	--	--

**टिप्पणी :** विभागीय परीक्षा में कनिष्ठ सहायक (इंजीनियरिंग) – विद्युत अथवा लिफ्ट ऑपरेटर अथवा एसीआर अथवा एयरो ब्रिज ऑपरेटर अथवा वायरमैन अथवा ऑपरेटर-सह-मैकेनिक के पद पर चयन के लिए अर्हता मानदंड इस प्रकार होंगे:

10वीं उत्तीर्ण + विद्युत पार्ट-II (बी) लाइसेंस, इस शर्त के साथ कि विद्युत पार्ट-II (बी) लाइसेंस संबंधित राज्य अथवा केंद्रीय वैधानिक निकायों से प्राप्त किया गया हो अथवा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (एन टी सी ) अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन सी वी टी) द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाणपत्र (एन ए सी) हो।”

(बी) एन ई -5 में प्रवेश, क्रम संख्या 3, 4 और 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"3.	सहायक (हिंदी)	हिंदी	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (हिन्दी) में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा के साथ स्नातक और संबंधित संवर्ग में दो वर्षों का प्रासंगिक अनुभव
4.	सहायक (भंडार)	सामग्री प्रबंधन	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा के साथ स्नातक
6.	सहायक (कार्यालय)	मानव संसाधन प्रबंधन	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा के साथ स्नातक और संबंधित संवर्ग में 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव”

(सी) एन ई - 6 में प्रवेश क्रम संख्या 6,7,8,15 और 18 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"6.	वरिष्ठ सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स)	इलेक्ट्रॉनिक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलिकम्युनिकेशन/ रेडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। उच्च अर्हता, अर्थात् उसी इंजीनियरिंग शाखा में प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री पर भी विचार किया जा सकता है।
7.	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	वित्त	स्नातक, अधिमानतः वाणिज्य में स्नातक डिग्री और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा
8.	वरिष्ठ सहायक (हिंदी आशुलिपिक)	हिंदी	हिंदी आशुलिपि में अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति सहित स्नातक, दो वर्षों का अनुभव तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (हिंदी) में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा
15	वरिष्ठ सहायक (आशुलिपिक)	मानव संसाधन प्रबंधन	आशुलिपि में अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति सहित स्नातक, दो वर्षों का अनुभव तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा
18	वरिष्ठ सहायक (राजभाषा)	हिंदी	स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय सहित हिंदी में स्नातकोत्तर  अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी विषय सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर  अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, साथ ही स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हों।  अथवा

			<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, साथ ही स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय माध्यम और अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़े हों या परीक्षा का माध्यम रहे हों। अर्थात् यदि स्नातक स्तर पर हिंदी माध्यम है, तो अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय होना चाहिए अथवा यदि अंग्रेजी माध्यम है, तो हिंदी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय होना चाहिए।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय के रूप में हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य / वैकल्पिक विषय हो, साथ ही हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा / प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या केंद्र/राज्य सरकार के कार्यालयों, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम या प्रतिष्ठित संगठन शामिल हैं, में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का दो वर्षों का अनुभव।</p> <p>अर्हता मानदंडों के अलावा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस(हिंदी) में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा।</p>
--	--	--	--

विपिन कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./679/2025-26]

**टिप्पणी:** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में अधिसूचना संख्या ए.60011/67/2011-पीपी (भाग-1) दिनांक-16 जनवरी, 2020 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

**स्पष्टीकरण ज्ञापन :** (1) इन विनियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्राधिकरण में नियमित आधार पर पदों पर कार्य कर रहे कार्मिकों को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त माना जाएगा।

(2) ऐसे कार्मिकों द्वारा इन विनियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व संबंधित ग्रेडों में की गई नियमित और निरंतर सेवा की गणना परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठता, स्थायीकरण, पदोन्नति हेतु अर्हक सेवा आदि निर्धारित करने के प्रयोजन से की जाएगी।

**AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2026

**F. No. A.60011/34/2016/HRPC.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Airports Authority of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Airports Authority of India (Recruitment and Promotion) Regulations, 2020, namely:-

**1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:**

1.1 These may be called the Airports Authority of India (Recruitment and Promotion) Amendment Regulations, 2026.

1.2 These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Airports Authority of India (Recruitment and Promotion) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the said Regulations), in regulation 6, in sub-regulation 6.1, in clause (i), the Note shall be renumbered as Note 1, thereof and after Note 1, as so renumbered, the following Note shall be inserted, namely: -

“Note 2: No direct recruitment in Air Traffic Control cadre and Communication Navigation and Surveillance cadre in E-3 and E-6 level shall be made.”

3. In the said Regulations, in regulation 8, -

(A) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely: -

“(iv)(a) For recruitment in Junior Executive (E-1 Level/ Grade) for the discipline where eligibility criteria is Engineering graduate including Information Technology discipline where eligibility criteria is Engineering graduate or Masters in Computer Application in accordance with Annexure-I of these Regulations, applications shall be invited from Graduate Aptitude Test in Engineering qualified candidates with score of last three years without fixing any minimum qualifying criteria and selection will be made as per merit list prepared based on Graduate Aptitude Test in Engineering score of applied candidates.

(b) In respect of recruitment at Junior Executive (E-1 Level/ Grade) in other disciplines, where eligibility requirement is other than the Engineering graduate, selection shall be made on the basis of merit in the online examination conducted by Authority.”;

(B) after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(vi) Equal weightage criteria for written examination i.e. 50% for subject related and 50% for general knowledge shall be adopted across all disciplines with respect to departmental examinations for the post of Junior Executive (E-1 Level/Grade).

(vii) Equal opportunity shall be provided for persons with disabilities in accordance with the law for the time being in force.;

(viii) For direct recruitment to the post of Junior Assistant (Fire Services) (NE-4), the level for written examination shall be as per table below: -

**Table**

Basic Arithmetic	25 marks	10th standard level
Basic Science	25 marks	
Elementary English / Grammar	25 marks	
General Knowledge	25 marks	12th standard level
Total	100 marks	

The minimum passing marks shall be 50 out of 100 for General category candidates and 40 out of 100 for Scheduled Caste and Scheduled Tribe category candidates and the time duration for written examination shall be two hours.”

4. In the said Regulations, in regulation 10, for regulation 10, the following regulation shall be substituted, namely: -

“10 Age: The maximum age- limit for each post shall not exceed as provided in the ‘direct recruitment’ and nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard:

Provided that the departmental employees shall be allowed up to fifty years of age to appear in various departmental examinations and age relaxation of maximum ten years shall be extended to departmental candidates for appearing in direct recruitment.

10.1 Fee: Fee shall be payable for direct recruitment as specified in this behalf from time to time:

Provided that the candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories, Persons with Disability, Women candidates and other relaxations provided by Government of India from time to time shall be exempted from payment of fees.

10.1.1 Those apprentices who have successfully completed one year of Apprenticeship Training in Airports Authority of India, as per the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) shall be exempted for submitting application fees required for direct recruitment in Airports Authority of India subject to fulfilment of other requirements stipulated in the respective recruitment advertisement.”

5. In the said Regulations, in regulation 13, in sub-regulation 13.1, for clause (ii) shall be omitted.

6. In the said Regulations, in regulation 15, -

(A) after sub-regulation 15.2, the following sub-regulations shall be inserted, namely: -

“15.2.1 The number of posts reserved for Ex-Servicemen as well as disabled Ex- Servicemen and dependents on defence servicemen killed in action shall be indicated in the advertisement being issued by the Regions including Establishment at Corporate Headquarters and to fill up the same as per guidelines, in the matter.

15.2.2 The specifications for qualifying medical tests, sequence of physical endurance test and requirement of possessing the type of driving license shall be specifically notified while advertising for the post in Fire Services.”;

(B) for sub-regulation 15.7, the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“15.7 The number of candidates to be considered for filling up the vacancies by direct recruitment and 25% Departmental Examination (DE) quota will normally be five times the number of vacancies to be filled and where the numbers of such candidates are less than five times the vacancies to be filled, all the qualified candidates shall be considered by the Selection Committee. However, where the vacancies are limited (upto 10) to be filled by direct recruitment and the number of candidates who apply and fulfil the prescribed criteria are more, the criteria for calling of candidates shall be decided by the Competent Authority.

15.7.1 To squeeze time line, initially candidates shall be called two times of the number of vacancies and final result would be declared. To fill unfilled vacancies, if any, candidates may be called as per requirements from overall five times. This shall not be applicable in case of Fire Services and the other recruitments where interviews are mandatory after Computer Based Test. Likewise, the number of candidates to be called for document verification will be up to five times the number of vacancies. However, to squeeze timeline, initially candidates shall be called two times of the number of vacancies. In case vacancies still remain unfilled candidates may be called from overall up to five times from number of vacancies as per the requirement, duly following as per the extant instructions.”;

(C) for sub-regulation 15.8, the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“15.8 The qualification marks in the written or competitive exam for various posts (DR & DE) shall be 50% marks for General and Other Backward Class candidates and 40% marks for Scheduled Category or Scheduled Tribe candidates. In respect of candidates with Benchmark Disabilities, irrespective of their category (Unreserved or Other Backward Class or Scheduled Caste or Scheduled Tribe), the qualifying marks in written or competitive exam shall be 40%. This is subjected to fitness of such candidate for appointment to the post (s) in Airports Authority of India.”

7. In said Regulations, for regulation 36, the following regulation shall be substituted, namely:-

**“36. POWER TO RELAX:** Where the Authority is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons or posts with the prior approval of Central Government.”

8. In said Regulations, in Annexure- I, -

(A) against the Sl. Nos. 1, 3, 4, 8, 10 and 19 entries relating thereto, the following Sl Nos. and entries shall respectively be substituted, namely: -

Sl. No.	Department	Qualification
1	Air Traffic Control (ATC)	Bachelor degree of three years in science (Bachelors in science) with Physics and Mathematics from Recognised University or Bachelor degree in Engineering or Technology in any discipline from Recognised University.  (Note 1: Physics and mathematics should be subjects in any one of their semesters' curriculums).  Note 2: The candidates shall have minimum proficiency in both spoken and written English of the level of 10+2 standard (the candidate shall have passed English as one of the subjects in 10th or 12th standard).
3	Civil	Bachelor's Degree in Engineering or Technology in Civil.  Note: In case of departmental examination, employees possessing Diploma in Civil Engineering with minimum 05 years of experience in the relevant field and should at least be at the level of Senior Assistant (NE-6) (Civil). The condition of experience and being at the level of Senior Assistant (NE-6) will not apply for those employees who are possessing Bachelor's Degree in Engineering or Technology in Civil.
4	Electrical	Bachelor's Degree in Engineering or Technology in Electrical  Note: In case of departmental examination, employees possessing Diploma in Electrical Engineering with minimum 05 years of experience in the relevant field and should at least be at the level of Senior Assistant (NE-6) (Electrical). The condition of experience and being at the level of Senior Assistant (NE-6) will not apply for those employees who are possessing Bachelor's Degree in Engineering or Technology in Electrical.
8	Cargo	Graduate in Science and Master's in Business Administration of two years' duration;  Or Bachelor's Degree in Engineering or Technology.
10	Finance	Master's in Business Administration with specialization in Finance or Post Graduate Diploma in Management with specialization in Finance or Cost Accountant or Chartered Accountant or Chartered Financial Analyst.
19	Survey & Cartography	Bachelor's Degree in Engineering or Technology in Civil or Master's in Science in Geography or Master's in Remote Sensing and Geographic Information Systems or Master's in Geo-informatics or Masters in Geomatics”

(B) under the table, for paragraph 1 with heading "Percentage of Marks", following paragraph shall be substituted, namely:-

"1. Percentage of Marks : Minimum Pass Marks:-

**Note:** (i) Degree or Diploma or Certificate or Membership examination should be from any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

(ii) Degrees or Diplomas (as the case may be) acquired in Open and Distance mode from University Grants Commission recognised universities or All India Council for Technical Education approved courses, wherever applicable, shall be considered for the purpose of Direct Recruitment in Airports Authority of India.";

(C) for paragraph 2, following paragraph shall be substituted, namely: -

"Experience: (i) No experience is essential for direct recruitment as Junior Executive (E-1 Level/Grade) except for the post of Junior Executive (E-1 Level /Grade) of Official Language.

(ii) post-qualification work experience of three years' relevant to the post for direct recruitment to Manager (E-3 Level /Grade).

(iii) post-qualification work experience of eight years' relevant to the post (including four years' service at Senior Manager (E-4) Level/Grade or above of Authority) for direct recruitment to the post of Deputy General Manager (E-6).

Explanation: 1. Experience from the Central or State Government or Public Sector Undertakings or Large Private Sector organisations or Institutions or company of repute;

2. Large Private Sector organisations or Institutions or company of repute shall include any one of the following : -

(a) Listed companies (which would mean and include companies listed on National Stock Exchange or Group A or B of Bombay Stock Exchange) - corresponding to the years of experience.

(b) Experience acquired from Organisation or Institution or Companies with more than 250 employees working for the company excluding the manpower supplied on contract basis - corresponding to the years of experience.

(c) Experience acquired from Organisation or Institution or Companies having an annual turnover of more than Rs. 250 crores in the financial years (corresponding to the years of experience). Large Law firms shall include such Law firm having annual turnover of more than Rs 10 crores in the financial years (corresponding to the years of experience).

(d) For Direct Recruitment at E-6 level (where pay scales similar to Authority are not being followed), Cost to Company equivalent to double the initial basic pay of Senior Manager (E-4) of Airports Authority of India during the relevant advertisement year to be considered.;

(D) for paragraph (4), following paragraph shall be substituted, namely: -

"4. The qualification or experience prescribed in the Recruitment and Promotion Regulations which were in vogue before the issue of Order dated the 29th August, 2011, shall be followed for promotion of pre-29.08.2011 departmental candidates to various posts or grades. However, for promotion of those recruited on or after issue of the order dated 29th August, 2011, the qualification or experience requirements shall be regulated as per the qualification or experience contained in the order dated 29th August, 2011.";

(E) the paragraph (5), shall be omitted.

(F) in paragraph (6), after sub-paragraph d, the following sub-paragraph shall be inserted, namely: -

"e. Other conditions imposed by the Directorate General of Civil Aviation or Government of India from time to time shall be applicable."

9. In said Regulations, in Annexure – II, -

(A) for INDUCTIONS AT NE-4, the following INDUCTIONS AT NE -4, shall be substituted, namely:-

<b>“Sl. No.</b>	<b>Designation</b>	<b>Department</b>	<b>Qualifications Pass marks in educational qualification &amp; No experience requirement Maximum age 30 years</b>
1.	Junior Assistant (Cartography)	ATM	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute
2.	Junior Assistant (Fork Lift)	CARGO	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
3.	Junior Assistant (Drawing - Civil)	CIVIL	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
4.	Junior Assistant (Carpentry)	CIVIL	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
5.	Junior Assistant (Laboratory)	CIVIL	10 <sup>th</sup> pass with experience in soil testing laboratory.
6.	Junior Assistant (Masonry)	CIVIL	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
7.	Junior Assistant (Plumber)	CIVIL	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or

			National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
8.	Junior Assistant (Drawing - Electrical)	ELECTRICAL	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
9.	Junior Assistant (Lift Operation - cum-Mechanic)	ELECTRICAL	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
10.	Junior Assistant (ACR)	ELECTRICAL	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
11.	Junior Assistant (Aerobridge)	ELECTRICAL	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
12.	Junior Assistant (Wireman)	ELECTRICAL	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
13.	Junior Assistant (Electronics)	ELECTRONICS	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.

14.	Junior Assistant (Fire Services)	FIRE	<p>Educational Qualification: 10+3 years' approved regular Diploma in Mechanical/Automobile/Fire with pass marks or 12<sup>th</sup> Pass (Regular Study).</p> <p>Driving License:  (i) Valid Heavy Vehicle Driving Licence; or  (ii) Valid Medium Vehicle Licence issued at least one year before the date of advertisement:  or  (iii) Valid Light Motor Vehicle Licence issued at least two years before the date of advertisement.</p> <p>Note : In case of (ii) &amp; (iii) the incumbents will be required to acquire Heavy Duty Driving License within one year of appointment before completion of their probation period. In case they fail to acquire/ obtain the Heavy Duty Driving License, their probation period will be extended for one more year in order to obtain Heavy Duty Driving License, till such time, they will not be confirmed and their increments will also be withheld. Moreover, no further extension will be granted beyond two years and their services will stand terminated.</p> <p>Driving Test: The driving test will be conducted on Light Motor Vehicle.</p> <p>Training Period: The existing training period of 16 weeks will be further extended to 18 weeks in which 02 weeks training should be exclusively meant for imparting training on maintenance and driving on Heavy Duty Vehicle.</p>
15.	Junior Assistant (Housekeeping)	HK	10 <sup>th</sup> Pass with one year Diploma in Sanitation or Housekeeping.
16.	Junior Assistant (Patwari)	LAND	10 <sup>th</sup> pass
17.	Junior Assistant (Surveyor)	LAND	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for

			Vocational Training in related trade.
18.	Junior Assistant (Upholstery)	MM	10 <sup>th</sup> Pass, knowledge of related trade.
19.	Junior Assistant (Operator – cum-Mechanic)	ELECTRICAL	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
20.	Junior Assistant (Auto Electrical)	MT	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
21.	Junior Assistant (MT)	MT	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
22.	Junior Assistant (Office)	HRM	Graduate with computer literacy test in Microsoft Office.
23.	Junior Assistant (Drawing – Plg.)	PLG.	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
24.	Junior Assistant (Photo Printing)	PLG.	10 <sup>th</sup> pass with Industrial Training Institute; or National Trade Certificate; or National Apprentice Certificate issued by National Council for Vocational Training in related trade.
25.	Junior Assistant (Driver)	MT	Essential: 10 <sup>th</sup> Pass, with valid driving licence for the last 2 years for Heavy Motor Vehicles. Should be able to rectify starting troubles and should have at least

			<p>elementary knowledge of repairs. Candidates possessing the higher qualifications of 10+2 will be given suitable weightage.</p> <p>Desirable: Knowledge of local language or Hindi or English.</p> <p>Experience: Should have at least two years' experience of driving heavy vehicles. Persons with additional experience of driving or operating earth moving equipment will be preferred.</p> <p>Eye Sight:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Distant vision of 6/6 with each eye without glasses.</li> <li>→ Near vision N-5 with each eye with or without glasses.</li> <li>→ (Visual evaluation is for each eye individually).</li> <li>→ Colour vision should be normal with as determined by Ishihara charts.</li> <li>→ Field of vision each eye should have full field of vision as determined by confrontation test.</li> </ul> <p>Hearing: Normal</p> <p>For promotion of MT driver from departmental Group 'D' staff shall be those employees who have two years old heavy driving licence on the date of advertisement shall be considered for departmental examination for the post of Junior Assistant (Driver).</p>
--	--	--	---

Note: For selection to the post of Junior Assistant (Engineering) – Electrical or Lift Operator or ACR or Aero Bridge Operator or Wireman or Operator – cum – mechanic in departmental examination, the qualification criteria shall be as under:

10<sup>th</sup> Pass + Electrical Part – II (B) license subject to the condition that the Electrical part II (B) license should be obtained from the concerned State or Central Statutory Bodies or National Trade Certificate (NTC) or National Apprentice Certificate (NAC) issued by National Council for Vocational Training (NCVT).”

(B) In INDUCTIONS AT NE-5, against Sl. Nos. 3, 4 and 6 and entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall respectively be substituted, namely: -

"3.	Assistant (Hindi)	Hindi	Graduate with computer literacy test in Microsoft Office (Hindi) and two years relevant experience in the concerned discipline;
-----	-------------------	-------	---

4.	Assistant (Store)	Material Management	Graduate with computer literacy test in Microsoft Office;
6.	Assistant (Office)	Human Resource Management	Graduate with computer literacy test in Microsoft Office and 2 years relevant experience in the concerned discipline."

(C) In INDUCTIONS AT NE-6, against Sl. Nos. 6, 7, 8, 15 and 18 and entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be substituted respectively, namely:-

"6.	Senior Assistant (Electronics)	ELECTRONICS	Diploma in Electronics/ Telecommunication/ Radio Engineering.  The higher qualification i.e., Bachelor's in Technology or Engineering in the same Engineering branch can also be considered.
7.	Senior Assistant (Accounts)	FINANCE	Graduate preferably Bachelors in Commerce with computer literacy test in Microsoft Office.
8.	Senior Assistant (Hindi Steno)	HINDI	Graduate with eighty words per minute in Hindi shorthand with two years' experience and computer literacy test in Microsoft Office (Hindi).
15	Senior Assistant (Steno)	HUMAN RESOURCE MANAGEMENT	Graduate with eighty words per minute in shorthand with two years' experience and computer literacy test in Microsoft Office.
18	Senior Assistant (OL)	HINDI	Masters in Hindi with English as a subject at Graduation level OR Masters in English with Hindi as a subject at Graduation level. OR Masters in any subject apart from Hindi/English from a recognized University along with Hindi and English as compulsory/optional subjects at graduation level. OR Masters in any subject apart from Hindi/English from a recognized University along with Hindi and English as medium and compulsory/optional subjects or medium of examination at graduation level. Means if at graduation level Hindi is medium then English should be as compulsory/optional subject or if English is medium then Hindi should be as compulsory/optional subject. OR Graduation Degree from a recognized University along with Hindi and English as compulsory/optional subjects or any one out of both as medium of examination and other as compulsory/optional subject along with recognized Diploma/Certificate course of Hindi to English and English to Hindi Translation or two years' experience of Hindi to English and English to Hindi Translation at Central/State government offices including Government of India Undertakings or reputed organizations.  In addition to qualification criteria, Computer literacy test in MS Office (Hindi)."

**Note :** The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* Notification number A.60011/67/2011-PP (Pt-1) dated 16th January, 2020.

**Explanatory Memorandum:** (1) The incumbents holding posts in the Authority on a regular basis immediately before the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these regulations.

(2) The regular and continuous service rendered by such incumbents in the respective grades immediately before the commencement of these regulations shall be taken into account for the purpose of determining the period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation, etc.